(497)

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास एवं आवासन विभाग

क्रमांक :– प.6(29)नविवि/03/04 पार्ट

जयपुर, दिनांक 04.08.09

परिपत्र

राजस्थान नगर विकास न्यास (शहरी भूमि निस्तारण) नियम, 1974 के नियम 7(1) तथा राजस्थान नगर पालिका (शहरी भूमि निस्तारण) नियम, 1974 के नियम 7(1) के तहत् वर्तमान में लीजडीड जारी करने पर लीज रेन्ट की राशि नियमों के अनुरूप उस क्षेत्र की आरक्षित दर का 2.5 प्रतिशत आवासीय एवं 5 प्रतिशत व्यावसायिक उपयोग पर देय है। इस संबध में अवाप्तशुदा भूमि के बदले आवंटित की जाने वाली विकसित भूमि पर ली जाने वाली लीज राशि के बारे में स्पष्ट दिश निर्देश नहीं होने एवं राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर विकास प्राधिकरण व अन्य स्थानीय निकायों द्वारा लीज राशि के संबंध में अपने स्तर पर ही निर्णय लिये जाने के कारण एकरूपता का अभाव चला आ रहा है।

राज्य सरकार द्वारा महत्वपूर्ण परियोजनाओं में अवाप्तशुदा भूमि के बदले अवांटित की गई विकसित भूमि पर ली जाने वाली लीज राशि के संबंध में प्रभावित काश्तकारों द्वारा समय समय पर ज्ञापन दिये जा रहे है एवं काश्तकारों द्वारा स्थानीय निकायों से आवंटन प्राप्त नहीं किये जा रहे है जिसके कारण राज्य सरकार को भूमि का कब्जा निर्धारित समय पर प्राप्त नहीं हो पा रहा है।

वर्तमान में अवाप्तशुदा भूमि के बदले विकसित भूमि पर ली जाने वाली एकमुश्त लीज राशि की गणना क्षेत्र की आरक्षित दर (Reserve Price) पर करने से काश्तकारों द्वारा राशि अत्यधिक होने से जमा करवाये जाने में काफी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है तथा बार–बार राज्य सरकार व जयपुर विकास प्राधिकरण को अवाप्तशुदा प्रकरणों के तहत् आवंटित विकसित भूखण्डों की लीजराशि से मुक्त करने की माग की जा रही है।

इस संबंध में राज्य सरकार द्वारा जनहित को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है कि अवाप्तशुदा भूमि के बदले आवंटित की जाने वाली विकसित भूमि पर ली जाने वाली लीज राशि नियम, 1974 के अन्तर्गत निर्धारित आरक्षित दर के स्थान पर क्षेत्र के लिये निर्धारित कृषि भूमि के अकृषि प्रयोजनार्थ रूपान्तरण/सामान्य नियमन दर की चार गुणा राशि को आरक्षित दर मानी जाकर लीज राशि की गणना विभागीय परिपत्र क्रमांक प.3(65)नविवि/3/06 दिनांक 02.11.2007 के अनुसार की जाकर वसूल की जावें। यह गणना भूमि धारक द्वारा 8 वर्षो की एक मुश्त लीज राशि जमा कराने पर ही प्रभावी होगी। उक्त परिपत्र वित्त विभाग की सहमति से जारी किया जा रहा है।

(जी.एस.सन्धु)
प्रमुख शासन सचिव